



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27042022-235385
CG-DL-E-27042022-235385

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]
No. 304]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2022/वैशाख 7, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2022/VAISAKHA 7, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2022

सं. 35/2022-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 318(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997, जिसे सा.का.नि. 193 (अ.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, गोवा राज्य से सम्बंधित क्रम संख्या 4A के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) के उपरांत और कॉलम (4) में अनुरूप प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(3)	(4)
“(ii) बल्ली	आयातित माल को उतारना तथा निर्यात माल को चढ़ाना ”

[फा. सं. 394/66/2020-सीमाशुल्क (तस्करी-रोधी इकाई)]

शरद चंद्र श्रीवास्तव, निदेशक, (तस्करी-रोधी इकाई)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/97-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 02 अप्रैल, 1997, सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 02 अप्रैल, 1997 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 14/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 03 मार्च, 2022, सा.का.नि. 170 (अ), दिनांक 03 मार्च, 2022 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Indirect Taxes and Customs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 2022

No. 35/2022-Customs (N.T.)

G.S.R. 318(E).—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 12/97-Customs (N.T.) dated the 2nd April, 1997, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R 193 (E), dated the 2nd April, 1997, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 4A relating to the State of Goa, in column (3), after the entry at item (i) and corresponding entry in column (4), the following item and entries shall be inserted, namely:—

(3)	(4)
“(ii) Balli	Unloading of imported goods and loading of export goods”

[F.No.394/66/2020-Cus(AS)]

SHARAD CHANDRA SRIVASTAVA, Director (Anti-Smuggling Unit)

Note: The principal notification No.12/97-Customs(N.T.), dated the 2nd April, 1997 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997 and last amended by notification number 14/2022-Customs (N.T.) dated the 3rd March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 170 (E), dated the 3rd March, 2022.